(2.1)

परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में मिलान। (1)

प्रतिवेदन

जिला योजना 2010—11 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 929/ जिला योजना/ 2010—11 दिनांक 17.08.2010 द्वारा जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर—खन्तोली मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में मिलान लम्बाई 6.00 कि.मी. मोटर मार्ग प्रथम चरण के कार्य (वन भूमि हस्तान्तरण) के लिए रू0 1.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग से भाकड़पंत तक 1.00 कि.मी. मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सर्वेक्षण उपरान्त भारत सकार के पत्रांक 8 बी /यू.सी.पी./06/ 79/ 2009/ एफ.सी./ 485 दिनांक 29.07.2009 द्वारा 0.246 है0 वन भूमि की विधिवत् स्वीकृति एवं शा0सं0 जी.आई.—2122/ 7—1—2009/ 600 (2922) / 2009 दिनांक 21.08.2009 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत मोटर मार्ग इसी मार्ग का विस्तार है जो कि.मी. 1.00 के अंत में भाकड़पंत नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है। सर्वेक्षण उपरान्त ग्राम ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में मिलान तक वास्तविक लम्बाई 4.00 कि.मी. आती है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनु.सार ग्राम भाकड़पंत की आवादी 108 एवं ससोला की आवादी 84, पोखरी की 222 एवं खन्तोली 510 कुल आवादी 924 है तथा इन ग्रामों का मुख्य बाजार, स्कूल एवं अस्पताल, गैस गोदाम, डाकघर, बैंक आदि कांडा पड़ाव में है जहां तक पहुँचने के लिए सम्पर्क मार्ग नहीं होने से ग्रामीण जनता, छात्रों आदि को लगभग 20 कि0मी0 बाहनों से धूम कर आना जाना पड़ता है। उपरोक्त सभी ग्राम जंगलों के निकट स्थित है जो पूर्व में अपनी दैनिक जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर रहते थे। जंगलों के अनियन्त्रित कटान को रोकने एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गैस वितरण की व्यवस्था की गयी है। गैस वितरण केन्द्र कांडा पड़ाव में होने एवं उस स्थान तक सम्पर्क मार्ग न होने से लोगों को गैस वितरण केन्द्र का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसका विपरीत असर जंगलों पर पड़ रहा है। इस सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को अन्य सुविधाओं के साथ साथ गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। मोटर मार्ग का निर्माण **Vertical cutting** कर किया जाना है अत' **Horizontal width** 7 मीटर रखते हुए भूमि अधिगृहण प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार की गयी है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग—अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही डिजिटल एवं गगुल मैप में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर इन्डैक्स मानचित्र के साथ प्रस्ताव में लगाये गये हैं। **संरेखण संख्या 1** जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण भाकड़पंत नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार आरम्भ में लगभग 350 मीटर में नाप भूमि उसके बाद सिविल सोयम एवं नाप तथा वन पंचायत भूमि आ रही है जिसमें वृक्ष कम प्रभावित होते है और पूरा गांव लाभान्वित होता है। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासी भी सहमत है। **संरेखण नं0 2** जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण आरम्भ में संरेखण 1 के अनुसार रखा गया है परन्तु कि.मी. 1 के बाद अधिकांश संरेखण वन पंचायत भूमि से जाता है। इसमें बैन्ड आने के कारण अधिक वृक्ष प्रभावित होते है। मानकों के अनुसार ग्रेड नहीं मिलता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी सहमत नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 4 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 2.156 हैक्टेयर वन भूमि गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं 250 वृक्षों के पातन की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर